रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 2011/पौष 11, 1932

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 2011/PAUSHA 11, 1932

India Code

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2010

का.आ. 1(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 मार्च, 2011 को ऐसी तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबंध लागू किए जाएंगे ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(6)/2010-पार्ट]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2010

S.O. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 2011 as the date on which all the provisions of the said Act, shall come into force.

[F. No. WM-9(6)/2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.